दिनांक 03.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 299 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या, मेरठ तथा बस्ती इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 03.06.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या, मेरठ तथा बस्ती इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1-भ्रष्टाचार निवारण संगठन अयोध्या इकाई द्वारा देवी प्रसाद पुत्र रामसुरेश निवासी ग्राम व पोस्ट भेलसर थाना रूदौली जनपद अयोध्या से कुर्रा विभाजन हेतु दायर वाद में उसके पक्ष में रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक हरिओम मिश्र के नेतृत्व में तहसील रूदौली परिसर स्थित लेखपाल आवास के अन्दर से दीप चन्द्र (राजस्व लेखपाल) पुत्र औहरवादीन निवासी ग्राम नूर अलीपुर थाना मवई जनपद अयोध्या को 05 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2-भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई द्वारा भीम त्यागी पुत्र प्रमोद त्यागी निवासी सिहानी रोड थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद से शिकायतकर्ता की देशी शराब की दुकान चलाने देने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र के नेतृत्व में कार्यालय आबकारी विभाग सर्किल 2 मोदीनगर गाजियाबाद से जगत सिंह (प्रधान आबकारी सिपाही) पुत्र स्व0 दीवान सिंह निवासी मुन्शीगांव थाना कालसी देहरादून को 06 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

3-भ्रष्टाचार निवारण संगठन बस्ती इकाई द्वारा आसमान सिंह पुत्र धर्मदेव सिंह निवासी सैफाबाद तहसील सदर जनपद बस्ती से पत्थर नसब कराये जाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री उदय प्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक कार्यालय तहसील सदर परिसर जनपद बस्ती से अशर्फीलाल (राजस्व निरीक्षक तहसील सदर, बस्ती) पुत्र स्व0 राम वीपत निवासी मड़वानगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती को 10 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 03.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 300/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद देवरिया/थाना कोतवाली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.06.2026 को थाना कोतवाली व एण्टी थेफ्ट की सयुंक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चीनी मिल ग्राउण्ड के पास से 02 अभियुक्तों 1–सुमित कुमार 2–विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सुमित कुमार व विकास कुमार के विरूद्ध जनपद देवरिया के थाना कोतवाली पर वाहन चोरी आदि के लगभग आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुमित कुमार निवासी विलासपुर थाना मैरवा जनपद सिवान, बिहार।

2–विकास कुमार निवासी भोरे बाजार थाना भोरे जनपद गोपालगंज।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल।

- **जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त देवेन्द्र को मृत्युदण्ड व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना लालगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व धारा 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मिथुन को आजीवन कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 एबी भादवि व धारा 5एम/5एन/06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुड्डू उर्फ पवन को आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना मुंडेरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना मुंडेरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–मायाराम 2–संजय 3–मोनू 4–चन्द्रशेखर को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 51–51 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323/34 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–महेश 2–सन्तोष उर्फ सानू 3–राजकुमार उर्फ राजू को आजीवन कारावास व 51–51 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना कैम्पियरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/326ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दुर्गेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———